रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207] नई दिल्ली, बुधवार, जून 13, 1984/ज्येष्ठ 23, 1906
No. 207] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 1984/JYAISTHA 23, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली 13 जून, 1984

आदेश

सा.का.नि. 445(अ).—भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खंड 4 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) आदेश, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) संशोधन आदेश, 1984 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) आदेश, 1975 की प्रथम अनुसूची में—

(1) खंड 2(1) (क) में, "(2) मूंगफली का तेल" प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;

(2) खंड (6) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6क) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे वनस्पति तेल का विनिर्माण या स्टाक नहीं करेगा जो खंड 2(1) (क) में उल्लिखित तेल से भिन्न है ।"

[सं. 9-वीपी(1)/82]

एस. वी. एम. त्रिपाठी, भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Deptt. of Civil Supplies)

New Delhi, the 13th June, 1984

ORDER

G.S.R. 445(E).—In exercise of the powers conferred by sub-cluse (1) of clause 4 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby makes the following order further to amend the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order, 1975, namely :—

1. (1) This Order may be called the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Amendment Order, 1984.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Vegetable Oil Products (Standards of Qualitv) Order, 1975, in the First Schedule :—

(i) in cluse 2(1)(a), the entry "(ii) Groundnut oil", shall be omitted;

(ii) after clause (6) the following shall be inserted, namely :—

"(6A) No person shall manufacture or stock any Vegetable oil other than those mentioned in clause 2(1)(a)."

[No. 9-VP(1)|82]

S. V. M. TRIPATHI, Vegetable Oil Products Controller for India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984